

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2020-21/2137

दिनांक: 24-12-2020

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धाजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.07.2019 वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि "डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जावेगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जावेगा"।

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी।

(1) योजना का नाम एवं उद्देश्य—

1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है।
2. योजना का नाम "कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा"।
3. यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल, 2020) से प्रभावी होगी अर्थात् वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जावेगी।
4. इस योजना का नोडल विभाग, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।

(2) योजना के अन्तर्गत देय लाभ— योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल है—

1. स्कूटी
2. स्कूटी के साथ—
 - i. छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
 - ii. एक वर्ष का सामान्य बीमा,
 - iii. पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
 - iv. दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
 - v. एक हेलमेट

नोट—स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा।

दस्तावेज: scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx

1 | Page


कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

(3) योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात-

1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्रों को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जा सकेगी।
2. समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों में निम्नानुसार अनुपात रखेंगे-
 - i. विज्ञान संकाय में - कुल स्कूटी में से 40 प्रतिशत
 - ii. वाणिज्य संकाय में - कुल स्कूटी में से 5 प्रतिशत
 - iii. कला संकाय में - कुल स्कूटी में से 55 प्रतिशत
 - iv. वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग - कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी (संभागीय स्तर पर)
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्रों का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम/अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लामार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी।
4. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्रों में से जिलेवार वरियता के आधार पर किया जावेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता-

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्रों जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।
2. राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर। उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
3. किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A.BED/ B.SC.BED/ B.COM.BED/BE/B.TECH/ B.ARCH / MBBS / IIT / BBA / BBM / BCA / BDS / BHMS / BAMS / LAW/ etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो।
4. स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।
5. किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएँ भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
6. जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएँ इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।


आचार्य
कालिका शिक्षा विभाग

d:\scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx

2 | Page

7. देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की आय सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना होगी।
8. टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा।
9. योजनावार परिशिष्ट सं. 1 से 6 अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जायेगी। वाणिज्य संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जावेगी।

(5) विभिन्न विभागों के लिये योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक एवं स्कूटी की संख्या:-

(अ) कक्षा 12 के परिणाम के आधार पर:-

1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु) :- परिशिष्ट संख्या-1

- प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी एवं राज्य में कुल 1690 स्कूटी।
- पात्रता हेतु वरियता जिलेवार पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो निम्नानुसार है-

District	Science		Arts		Commerce		Total Enrolled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	1551	20	5183	28	782	3	7516	51
ALWAR	4029	20	10314	28	466	3	14809	51
BANSWARA	1604	20	2341	28	53	3	3998	51
BARAN	553	20	3183	28	45	3	3781	51
BARMER	945	20	4500	28	152	3	5597	51
BHARATPUR	1557	20	7195	28	186	3	8938	51
BHILWARA	1209	20	4093	28	357	3	5659	51
BIKANER	1301	20	6313	28	583	3	8197	51
BUNDI	409	20	2736	28	54	3	3199	51
CHITTORGARH	704	20	2546	28	284	3	3534	51
CHURU	2128	20	7438	28	350	3	9916	51
DAUSA	1422	20	6095	28	29	3	7546	51
DHOLPUR	552	20	1777	28	19	3	2348	51
DUNGARPUR	1406	20	1930	28	73	3	3409	51
HANUMANGARH	2069	20	6109	28	77	3	8255	51
JAIPUR	10581	20	20122	28	2700	3	33403	51
JAISALMER	136	20	685	28	34	3	855	51
JALORE	561	20	3121	28	80	3	3762	51
JHALAWAR	581	20	2884	28	75	3	3540	51
JHUNJHUNU	4967	20	5544	28	467	3	10978	51
JODHPUR	2911	20	7329	28	972	3	11212	51
KARAULI	779	20	3362	28	25	3	4166	51
KOTA	2128	20	4393	28	515	3	7036	51
NAGPUR	4057	20	9549	28	290	3	13896	51
PALI	1170	20	3117	28	257	3	4544	51
PRATAPGARH	365	20	1425	28	65	3	1855	51
RAJSAMAND	676	20	2068	28	204	3	2948	51
SAWAI MADHOPUR	807	20	3397	28	101	3	4305	51
SIKAR	6511	20	8665	28	445	3	15621	51



scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx

SIROHI	289	20	1101	28	105	3	1495	51
SRI GANGANAGAR	1227	20	5831	28	167	3	7225	51
TONK	1095	20	4295	28	27	3	5417	51
UDAIPUR	1562	20	3781	28	618	3	5961	51
VARISHTH UPADHYAY DIVISIONAL HEAD QUART								7
Grand Total	61842	660	162422	924	10657	99	234921	1690

- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे –
(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
- प्रत्येक जिले में 01 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- सात स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए संभागीय स्तर पर वरियता के आधार पर दी जायेगी।
- निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

2. अनुसूचित जाति वर्ग (sc)की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) :- परिशिष्ट संख्या-2

- सम्पूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी
- पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है-

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enrol	Total Scoot
	student	Scooty	student	Scooty	student	Scooty		
AJMER	346	17	1035	20	91	4	1472	41
ALWAR	571	29	2054	40	49	2	2674	71
BANSWARA	69	3	149	3	1	1	219	7
BARAN	57	3	526	10	6	1	589	14
BARMER	114	5	611	12	3	1	728	18
BHARATPUR	196	10	1266	24	13	1	1475	35
BHILWARA	190	9	750	14	17	1	957	24
BIKANER	172	9	863	17	14	1	1049	26
BUNDI	58	3	378	7	3	1	439	11
CHITTORGARH	114	6	393	8	21	1	528	15
CHURU	244	12	1316	25	11	1	1571	38
DAUSA	191	10	1092	21	5	1	1288	32
DHOLPUR	55	3	194	4	0	1	249	8
DUNGARPUR	69	3	98	2	3	1	170	6
HANUMANGARH	307	15	1690	33	4	1	2001	49
JAIPUR	1336	69	3465	67	242	6	5043	142
JAISALMER	30	2	115	2	0	1	145	5

d:\scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx

4 | Page


कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
उपायुक्त

JALORE	112	5	621	12	4	1	737	18
JHALAWAR	69	3	341	7	6	1	416	11
JHUNJHUNU	721	37	1218	23	45	2	1984	62
JODHPUR	356	18	1032	20	73	4	1461	42
KARAULI	89	4	589	11	2	1	680	16
KOTA	290	15	962	19	55	2	1307	36
NAGOUR	408	21	1482	29	16	1	1906	51
PALI	194	10	569	11	11	1	774	22
PRATAPGARH	32	2	152	3	5	1	189	6
RAJSAMAND	119	6	309	6	13	1	441	13
SAWAI MADHOPUR	90	4	507	10	5	1	602	15
SIKAR	695	36	1501	29	30	2	2226	67
SIROHI	55	3	231	4	3	1	289	8
SRI GANGANAGAR	258	13	2050	39	23	1	2331	54
TONK	179	9	793	15	6	1	978	25
UDAIPUR	147	8	390	8	54	3	591	19
Grand Total	7933	402	28742	553	834	50	37509	1005

- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे –
 - (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
 - (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
 - 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तर पर वरियता के आधार पर क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
 - निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।
3. अनुसूचित जनजाति (ST)की छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग):-परिशिष्ट सं. 3 व 4
- सम्पूर्ण राज्य में 6000 स्कूटी (1000 सैकण्डरी उत्तीर्ण, 5000 सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण), जिसमें से 50 प्रतिशत स्कूटी अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी छात्राओं के लिये आरक्षित।
 - पात्रता हेतु वरियता सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र एवं सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक एवं जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी। यदि किसी जिले में किसी संकाय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो स्कूटी अन्य जिले में स्वीकृत की जावेगी जो कि निम्नानुसार है-


 कोलेज शिक्षा, राजस्थान

d:\scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx


TSP क्षेत्र

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
BANSWARA	1058	451	1472	418	1	1	2531	870
CHITTORGARH	20	9	97	28	1	1	118	38
DUNGARPUR	784	334	1154	328	12	12	1950	674
PALI	18	9	122	35	1	1	141	45
PRATAPGARH	81	35	639	181	2	2	722	218
RAJSAMAND	5	4	63	18	2	2	70	24
SIROHI	11	5	123	35	1	1	134	41
UDAIPUR	358	153	1168	332	17	17	1543	502
Grand Total	2335	1000	4838	1375	37	37	7209	2412

नोट-वाणिज्य संकाय में 5 प्रतिशत से 125 स्कूटी होती है किन्तु एनरोलमेन्ट के आधार पर 37 स्कूटी का वितरण दर्शाया गया है।

NON-TSP क्षेत्र


DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	34	10	88	11	12	9	134	30
ALWAR	307	92	1034	131	15	10	1356	233
BARAN	77	23	492	62	1	1	570	86
BARMER	7	2	45	6	0	1	52	9
BHARATPUR	62	19	215	27	3	2	280	48
BHILWARA	77	23	180	23	0	1	257	47
BIKANER	17	5	14	2	0	1	31	8
BUNDI	87	26	532	67	3	2	622	95
CHURU	10	3	41	5	0	1	51	9
DAUSA	483	144	1906	241	4	3	2393	388
DHOLPUR	36	11	118	15	0	1	154	27
HANUMANGA	15	5	29	4	0	1	44	10
JAIPUR	843	252	2245	284	80	54	3168	590
JAISALMER	2	1	12	2	1	1	15	4
JALORE	9	3	42	5	0	1	51	9
JHALAWAR	40	12	352	44	1	1	393	57
JHUNJHUNU	127	38	146	18	5	4	278	60
JODHPUR	26	8	55	7	4	3	85	18
KARALI	213	64	954	121	1	1	1168	186
KOTA	242	72	443	56	15	12	700	140
NAGOUR	21	6	25	3	0	1	46	10


 C:\Scholarship\scheme\kalibal 2019-20\kalibal scooty rules 2020.docx
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
 जयपुर

BHARATPUR	453	9	1082	14	115	1	1650	24
BHILWARA	259	5	770	10	85	1	1114	16
BIKANER	311	7	1345	18	298	1	1954	26
BUNDI	62	1	256	3	10	1	328	5
CHITTORGARH	196	4	498	6	87	1	781	11
CHURU	401	8	1475	19	145	1	2021	28
DAUSA	330	7	822	11	11	1	1163	19
DHOLPUR	281	6	639	8	14	1	934	15
DUNGARPUR	156	3	230	3	11	1	397	7
HANUMANGARH	262	6	687	9	27	1	976	16
JAIPUR	2230	47	3904	51	1409	1	7543	99
JAISALMER	46	1	227	3	13	1	286	5
JALORE	99	2	531	7	24	1	654	10
JHALAWAR	102	2	356	5	23	1	481	8
JHUNJHUNU	562	12	706	9	159	1	1427	22
JODHPUR	607	13	1529	20	367	1	2503	34
KARAUALI	256	5	442	6	17	1	715	12
KOTA	501	11	613	8	116	1	1230	20
NAGOUR	510	11	1345	17	99	1	1954	29
PALI	197	4	547	7	61	1	805	12
PRATAPGARH	47	1	139	2	9	0	195	3
RAJSAMAND	143	3	482	6	77	1	702	10
SAWAI MADHOPUR	268	6	357	6	47	1	672	12
SIKAR	911	19	1237	16	197	1	2345	36
SIROHI	73	2	272	4	24	1	369	7
SRI GANGANAGAR	195	4	564	7	62	1	821	12
TONK	158	3	434	6	6	0	598	10
UDAIPUR	458	10	888	11	227	1	1573	22
Grand Total	11450	240	25294	330	4199	30	40943	600

• पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे –

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं


 C:\scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx
 कलिकाट शिक्षा, राजस्थान
 रायपुर


(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

- राज्य में 06 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

5. अल्प संख्यक वर्ग (Minority) की छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग):—परिशिष्ट सं. 6

- सम्पूर्ण राज्य में 750 स्कूटी
- पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है—

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	74	13	233	15	93	1	314	29
ALWAR	54	10	371	24	13	1	424	35
BANSWARA	61	11	70	5	32	1	151	17
BARAN	22	4	192	12	3	1	215	17
BARMER	11	2	57	4	67	2	127	8
BHARATPUR	28	5	200	13	5	1	230	19
BHILWARA	51	9	161	10	83	1	210	20
BIKANER	33	6	96	6	20	1	133	13
BUNDI	24	4	149	10	12	1	178	15
CHITTORGARH	27	5	73	5	49	2	132	12
CHURU	45	8	420	27	13	1	469	36
DAUSA	17	3	67	4	1	1	84	8
DHOLPUR	25	4	61	4	1	1	83	9
DUNGARPUR	57	10	25	2	28	1	108	13
HANUMANGARH	83	15	272	18	7	1	358	34
JAIPUR	147	27	810	52	135	2	1090	81
JAISALMER	5	1	33	2	1	1	39	4
JALORE	11	2	33	2	6	1	48	5
JHALAWAR	33	6	116	7	32	1	154	14
JHUNJHUNU	118	21	422	27	21	1	559	49
JODHPUR	50	9	138	9	31	1	215	19
KARALI	14	3	77	5	0	1	89	9
KOTA	71	13	273	18	80	2	335	33
NAGPUR	115	21	442	28	39	1	592	50
PALI	28	5	92	6	17	1	124	12


 D:\scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty rules 2020.docx
 केंद्रीय शिक्षा, राजस्थान
 जयपुर

PRATAPGARH	20	4	39	3	20	1	74	8
RAJSAMAND	17	3	28	2	24	1	62	6
SAWAI MADHOPUR	61	11	325	21	13	1	392	33
SIKAR	129	23	415	27	21	1	559	51
SIROHI	9	2	19	1	4	1	28	4
SRI GANGANAGAR	83	15	331	21	9	1	419	37
TONK	56	10	231	15	3	1	286	26
UDAIPUR	81	15	109	7	76	2	231	24
Grand Total	1660	300	6380	412	959	38	8512	750

- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे -

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

- 08 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

स्पष्टीकरण:-

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्राएँ नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2. निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रायें नही मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अधिकतम है।
4. यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।
5. यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरीयता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित स्कूटी की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में तीनों संकायों की common वरीयता सूची में से उच्चतम प्राप्तांक वाली दिव्यांग छात्राओं का चयन किया जावेगा एवं उतनी ही संख्या में सम्बन्धित संकाय के सम्बन्धित वर्ग में से उतनी ही स्कूटी कम करके समायोजित कर लिया जायेगा ताकि संबंधित वर्ग एवं संकाय में कुल छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या के अनुरूप ही रहे।

6. टीएसपी क्षेत्र की निवासी छात्रा नॉन टीएसपी क्षेत्र में अध्ययनरत होने पर वह टीएसपी/नॉनटीएसपी दोनों वर्ग में से किसी भी एक वर्ग में आवेदन कर सकेगी।
7. दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल दी जा सकेगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को निदेशालय के पत्रांक एफ 16(1) () वियो/मो.ट्रा.यो./2017-18/13593-626 दिनांक 14.10.2017 के तहत मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल दी जा रही है।

(6) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज :-

- सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका।
- राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र (जो कोई भी लागू हो) की स्व-प्रमाणित फोटों प्रति संलग्न करनी होगी।
- आय प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना न हो)
- बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
- जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति
- दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति

(7) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान :-

1. योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।
2. सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन पोर्टल (आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग) के माध्यम से किया जायेगा।
3. Uniform Portal का विकास आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में विद्यमान विभिन्न योजनाओं, RBSE/CBSE (यथा शाला दर्पण/पीएसपी) पोर्टल्स का अध्ययन कर एवं लाभार्थियों की सूची सीधे ही ऑन लाईन प्राप्त करेगा।
4. सभी विभागों द्वारा योजना के लिये बजट का प्रावधान पूर्व की भांति अपने विभाग के सम्बन्धित बजट मदों में कराया जावेगा।
5. अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना प्रथम बार लाई गई हैं। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा समुचित तरीके से बजट का प्रावधान कराया जावेगा।
6. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित किया जावे कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
7. नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन/स्पष्टीकरण की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
8. नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर योजना की समीक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना के सकारात्मक प्रभाव का आंकलन कर सरकार को तदनुसार पॉलिसी सुझाव दिया जायेगा।

9. सभी प्रशासनिक विभाग अपनी विभाग की योजना के सफल सुचारु एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिये अपने अधिनस्थ कार्यालयों/अधिकारी को क्रियान्वयन एजेन्सी/विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।
10. प्रशासनिक विभाग (आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग जयपुर) आवेदन प्राप्त करने , उनको ऑनलाईन करने से लेकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करते हुये योजनानुसार वरीयता सूची का निर्धारण कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉमन पोर्टल का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन) करेंगे तथा निर्धारित स्कूटी संख्या से नोडल विभाग को अवगत करायेगे जिससे की क्रय की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जा सके। योजना से संबंधित सभी सूचनाएँ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी।
11. यथा संभव परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर स्कूटी वितरण की कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर वितरण की जावेगी।

(8) आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया :-

1. पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड किया जायेगा।
2. छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार कार्ड नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
3. पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणियों में आवेदन किया जावेगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए एक कॉमन पोर्टल विकसित किया जायेगा। पोर्टल पर आधार नं0/जन आधार कार्ड नं0 के आधार पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिंग की जावेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नहीं हो। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर देखा जा सकता है।
4. प्रत्येक विभाग योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर ऑनलाईन/स्वीकृति जारी कर सकेंगे।
5. प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, एवं अन्य सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी का ऑनलाईन (Forward) करेंगे। जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जांच एवं जिलेवार वरीयता सूची तैयार कर आयुक्तालय को निर्धारित तिथि को ऑनलाईन (Forward) करेंगे।

(9) योजना क्रियान्वयन की जिला स्तरीय समीक्षा-

जिला स्तर पर जिला कलक्टर, जिला स्तरीय शिक्षा निष्पादन समिति के माध्यम से इस योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। इस समिति में:-

- (अ) छात्राओं को ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना।
- (ब) योजना से सम्बन्धित किसी भी तरह की शिकायत होने पर आवश्यक कार्यवाही।
- (स) इस योजना का समुचित प्रचार प्रसार, संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण आयोजित करवाना।

- (द) त्वरित गति से स्कूटी के वितरण की व्यवस्था आदि की समीक्षा की जायेगी।
(10) स्कूटियों का क्रय(Procurement)

प्रत्येक विभाग के लिए योजना में वितरित की जाने वाली स्कूटी के क्रय (Procurement) हेतु स्कूटी का ब्रान्ड नाम, सीसी का निर्धारण, स्कूटी की कीमत आदि की कार्यवाही RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के तहत नोडल विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुमोदन वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक-102004611 दिनांक-21.12.2020 से करने के उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।



(संदेश नायक)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2020-21/2138-2149 दिनांक: 24-12-2020
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. आयुक्त, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
12. प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर